

वकुलाय फसकन उपस्थित
सल वास्ते... बदल ..आयन्द
रेनाक 29/5/19 को पेश हो

एल.डी.ओ

मनातली पेश हई. आज बर एसोसियेशन पगल
सम काम आंगत रखने की घोषणा का गई
अत पत्रावल: वापन... बदल आइ...
दि. 19/5/19 का पत्र-ले.

29/5

26/5


26/5

पत्रावली आम पेश में ली गई! वकील
वकील व वकील शर्मा की फूमगिहे
अधिवक्ता उपस्थित! वकील शर्मा ने
एड शर्मा पत्र उतार कर ऑर्डर L
खलम 10 CPC के डा. पत्र को बिदे
करने की अनुमति चाही है! जिस
पर वकील वकील को कोई आपत्ति
नहीं है! अत: ऑर्डर L खलम 10 CPC
के डा. पत्र को परिये बिदे ल खारिज
किया जाता है! पत्रावली वानि आरिन्द
दिनांक 26/06/19 को पेश हो। @Ph

Am ME A

26/5

पत्रावली आम पेश में ली गई! वकील वकील
व परिकार उपस्थित। वाद पत्र में लख
सुनी गई! वकील वकील ने वाद पत्र में
वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए! निवेदन
किया कि वकील ने यह वाद पत्र वादगत
भूमि के लिए प्रतिवादी गण के विरुद्ध
चिद निवेधान का अनुमति प्राप्त करने
के लिए उतार किया है! प्रतिवादी संस्था
L के विरुद्ध वाद पत्र में एड पकीय पत्रावली



अपस्थित

अहकाम
हुकम की त
जारी

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

अहकाम जो इस
हुकम की तामील में
जारी हुए

अतः वादपत्र वादी एवेकार किया जाता है
 खण्ड वादगत भूमि खण्ड 9 BKD (A) के
 सु.न. 54/54 के किला न. 1 न 23 की
 भूमि बाबत चिट निर्देशाला बहक
 वादीनि खिलाफ प्रतिवादीगण इस धमर
 की जारी की जाती है कि वादीनि की
 उपरोक्त वादगत कब्जेयुक्त खतेशरी
 भूमि में प्रतिवादीगण खाला निर्माण
 नहीं करें व वादीनि के उक्त शान्ति
 निय कब्जेकाशत में किसी प्रकार की
 दखल अंशानी ना करें। व मौके व
 रिपोर्ट की त्विनि अथावश कायम रखें।
 पन्ना डिगरी जारी है। निर्णय आज
 दिनांक 26/06/2019 को उच्च न्यायालय
 में सुनाया गया। पत्रावली दारिखल
 दफतर है।

उपखण्ड अधिकारी
 पूगल (बीकानेर)